तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

30.10.2019

पत्रावली आज भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थनापत्र पर आदेशार्थ पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित, जिनकी बहस उक्त प्रार्थनापत्र बाबत पूर्व में सुनी जा चुकी है।

भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थनापत्र बाबत अपनी बहस में अपीलाण्ट्स की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलाण्ट्स की अपील को ग्राह्य किये जाने के लिए भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थनापत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में जो धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण-रेस्पो. की ओर से पेश किया गया है, उसके पद संख्या दो में वादग्रस्त आराजी के कुल 16 बीघा 01 बिस्वा रकबे का विक्रय विलेख प्रार्थी महेन्द्र पुत्र भंवरलाल तथा अप्रार्थीगण संख्या एक व दो कमशः अचलाराम एवं ओमप्रकाश के हक में छंवरलाल जी के आम-मुख्तयार भंवरलाल द्वारा निष्पादित किया गया था। बाद में इन केतागण द्वारा अपनी कयशुदा भूमि में से एक बीघा भूमि भंवरलालजी की बहिन कमला के हक में हस्तान्तरण किया गया। मगर आलौच्य प्रकरण में कमला को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण मूल वाद की संधारणीयता पर ही प्रश्नचिन्ह लग जाता है। इसके अतिरिक्त 01 मार्च 2012 के आदेश में अस्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में विचारणीय प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दुओं बाबत भी विवेचन नहीं किया गया, इस कारण भी उक्त आदेश विधिसम्मतः नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी-अपीलाण्ट्स को सुनवाई का मौका दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 01 मार्च 2012 पारित कर दिया, जिसके संबंध में सर्वप्रथम अपीलाण्ट्स को अपने स्वामित्वसुदा जायदाद की देखभाल किये जाने हेतु उपस्थित होने पर जानकारी हुई, तब उसने अप्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक से तीन से सम्पर्क किया, तो उनके द्वारा एलानिया धमकी दी गयी कि उक्त आराजी बाबत उनके द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है। इस पर अपीलाण्ट्स द्वारा अधिवक्ता मुकर्रर कर खोजबीन की गयी और 02 जुलाई 2018 को अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त किये जाने पर विधिवत पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई, तब जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा में आलौच्य अपील अदालत हाजा में प्रस्तुत की गयी है। अपीलाण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायालय का ध्यान निम्नलिखित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया--

1- AIR 1998 SC 2276

2- 2009 RRT SC 432

3- 2009(2) CCC 371 SC

4- 2009(2) CCC 440 SC

5- 2010(4) CDR 2453 Raj.(DB)

6- 2009 RRD 150

7- 2006-07 RRT (Suppl.) 43

8- 2007(1) RRT 18

रेस्पो. संख्या दो व तीन के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि यदि भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत पेश उक्त प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाता है कि उन्हें को आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा प्रस्तुत नजीरों का अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी संख्या एक अचलाराम की ओर से अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार उपस्थित हुए, अप्रार्थीगण संख्या दो से चार बावजूद तामील अनुपस्थित रहे, अतः उनके खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय में इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या चार अशोक सोलंकी (आलौच्य अपील में अपीलाण्ट संख्या एक) के सम्मन स्वयं द्वारा, अप्रार्थी संख्या तीन मंजू सोलंकी (आलौच्य अपील में अपीलाण्ट संख्या दो) के सम्मन पति अशोक सोलंकी पर तामील होना सम्मन की पुश्त के अवलोकन से प्रकट होता है। सम्मन की पुश्त पर तामीलकुनिन्दा की रिपोर्ट एवं संबंधित तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट्स के खिलाफ सम्मनों की समुचित एवं सम्यक तामील हो चुकी है। अप्रार्थी-रेस्पो. ओमप्रकाश के सम्मन की तामील भी स्वयं उस पर होना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के प्रकट है।

इसके उपरान्त भी अपीलाण्ट्स द्वारा अदालत हाजा के सक्षम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता अहकाम जो हुक्म की ता में जारी

से 4 के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही की गयी। इस तथ्य को अपीलाण्ट-अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 के द्वारा भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में छिपाते हुए यह मिथ्या कथन करना उचित नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। रेस्पो. के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत नजीर 2009 RRT SC 432 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया है कि असत्य अथवा मिथ्या कथन विलम्ब के शमन से इन्कार करने हेतु पर्याप्त है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट्स का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है, जो खारिज किया जाता है और तदनुसार अपील अपीलाण्ट्स समय-सीमा से बाधित होने के कारण खारिज की जाती है।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/10/19

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर